

(インドの経済開発を促進するための特別の奨励措置に関する交換公文)

(インド側書簡)

(Indian Note)

New Delhi, March 7, 1989

Excellency,

印ハニ側
書簡

(訳文)

書簡をもつて略上申しあげます。本件は、日本署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのインド共和国政府と日本国政府との間の条約第二十三条3(c)に言及する所(以下「インド共和国政府と日本国政府との間で到達した次の了解をインド共和国政府に代わって確認する光栄を有します。」)

I have the honour to refer to sub-paragraph (c) of Paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of the Republic of India, the following understanding reached between the Government of the Republic of India and the Government of Japan:

千九百六十一年のインドの所得税法(千九百六十一年の第四十三号)の次の各条に定める措置は、前記の条約第二十三条3(c)に規定する「インドの経済開発を促進するための特別の奨励措置であつて、この条約の署名の日に実施されるもの」である。

(i) 第十条^{15) iv)} (特定の利子に対する租税の免除に関するもの)

(ii) Section 10A
-- relating to exemption from tax on certain interest;

(iii) 第十条のA (自由貿易地帯における新規に設立された産業的事業に係る特別規定に関するもの)

(ii) Section 10A
-- relating to special provision in respect of newly established

Industrial undertakings in free
trade zones;

(iii) 第三十一一条の二B (設備及び機械等への投資に係る投資預金口座等に関するもの)

-- relating to investment deposit account, etc. with respect to investment in plant and machinery,

(iv) Section 32AB

-- relating to investment deposit account, etc. with respect to investment in plant and machinery,

(v) Section 80H

-- relating to deduction in respect of profits and gains from established industrial undertakings or hotel business in backward areas;

(vi) Section 80I

-- relating to deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings after a certain date, etc.;

本官は、更に、閣下が前記の了解を日本国政府に代わって確認されるることを要請する光榮を有します。

I have further the honor to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understanding on behalf of the Government of Japan.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

意を表します。

千九百八十九年三月七日ニヨー・アリード

大蔵省直税庁長官

G.N. Gupta

G.N. Gupta
Chairman, Central Board
of Direct Taxes,
Ministry of Finance

インドとの租税（所得）条約

インド駐在日本国
特命全権大使 野田英一 証題下

His Excellency
Mr. Eijiro Noda
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to India

(日本側書簡)

(Japanese Note)

New Delhi, March 7, 1989

日本側書
簡

(記文)

書簡をもつて路上にたまひます。本使は、本田廿四の閣下の次の書簡を受領したりとを確認する光栄を有しめや。

(イハン側書簡)

本使は、更に、閣下の書簡に述べられた了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。本使は、以上を申し進めるに際して、今後は閣下に向ひて敬意を表します。

千九百八十九年三月七日ニヨー・デリード

イハン 駐在印本国

特命全権大使 野田英一郎

Eijiro Noda
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to India

大蔵省直税局長官

G.N. Gupta

His Excellency
Mr. G.N. Gupta
Chairman, Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance

(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約に関する交換公文)

(日本側書簡)

(Japanese Note)

New Delhi, March 7, 1989

日本側書簡

(訳文)

書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約に言及するとともに、両政府間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。

1 条約第二条-(b)に關し、千九百六十四年の法人超過利潤税法に基づき課され、その後に廃止された超過利潤税と同一である租税又は實質的に類似する租税であつて条約の署名の日の後にインダにおこる課われゆるものは、同条2に規定する同一である租税又は實質的に類似する租税とみなされね。

2 条約第三条-(d)に關し、「租税」には、条約が適用される租税に係る債務不履行又は不作為に關して支払われるいかなる額も、また、これらの租税に關して科られる罰金に相当するいかなる額も含まれね。

Excellency,

I have the honour to refer to the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of Japan, the following understanding reached between the two Governments:

1. With reference to sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention, any taxes which are identical or substantially similar to the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 but abolished subsequently, and which are imposed in India after the date of signature of the Convention shall be regarded as the identical or substantially similar taxes referred to in paragraph 2 of Article 2 of the Convention.
2. With reference to sub-paragraph (d) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Convention applies or which represents a

3. 条約第三条(一)に關へ、ベンダーリング「和」にせば、

組合及びハムラー未分割家族を含む。

4. 条約第五条(一)に關へ、同条(一)に規定する「役務又は施設」

には、石油の探査、開発又は採取において使用される設備及び機械であつて實質により提供するものを含む。

5. 企業に屬する物品若しくは商品の引渡しのためにのみ施設を使用し、又は企業に屬する物品若しくは商品の在庫を引渡しのためのみ保有するいふ（当該物品又は商品の販売を当該締約国において行う場合を除く）については、条約第五条(一)の規定が適用されることが了解される。

6. 条約第七条(一)に關へ、「当該恒久的施設に直接又は間接に帰せられる」との用語の使用に當たつては、恒久的施設が関与した取引から生じた利得のうち、当該取引において当該恒久的施設が果たした役割に対応する部分が当該恒久的施設に帰せられることが了解される。また、当該物品又は役務の販売又は提供に関する契約又は注文が、恒久的施設との間よりもむしる海外にある当該企業の本店との間で直接的に行われる場合においても、当該利得のうち前記の部分が当該恒久的施設に帰せられることが了解される。

penalty imposed relating to these taxes.

3. With reference to sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, in the case of India, the term "person" shall include a partnership and a Hindu Undivided Family.

4. With reference to paragraph 5 of Article 5 of the Convention, the term "services or facilities" referred to therein shall include the supply of plant and machinery on hire used or to be used in the exploration, exploitation or extraction of mineral oils.

5. It is understood that the provisions of paragraph 6 of Article 5 of the Convention shall apply to the use of facilities solely for the purpose of delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise or to the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of delivery unless sales of such goods or merchandise are effected in that other Contracting State.

6. With reference to paragraph 1 of Article 7 of the Convention, it is understood that by using the term "directly or indirectly" attributable to that permanent establishment", profits arising from transactions in which the permanent establishment has been involved shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the extent appropriate to the part played by the permanent establishment in those transactions. It is also understood that profits shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the above-mentioned extent, even when the contract or order relating to the sale or provision of goods or services in question is made or placed directly with the overseas head office of the

enterprise rather than with the permanent establishment.

7. 条約第七条3に關し、イハムにおこなは、同条3に規定する経営費及び一般管理費は、インダの国内法に従つて控除されるが、当該控除は、いかなる場合においても、条約の署名の日に施行され得るイハムの所得税法に基ても認められるものを行回るものであつてはならぬ(ア)が了解される。

8. 条約第七条3に關し、企業の恒久的施設が当該企業の本店又は当該企業の他の事務所に支払つた又は振り替えた支払金(実費弁償に係るものを除く)で次に掲げるもの(ア)～(シ)とは、損金に算入する事が認められない。

- (ア) 特許権その他の権利の使用又はノウハウの使用の対価として支払われる使用料、報酬その他これらに類する支払金
- (イ) 特定の役務の提供又は事業の管理の対価として支払われる手数料その他の料金
- (カ) 当該恒久的施設に対する貸付けに係る利子(当該企業が銀行業を営む企業である場合を除く)

9. 条約第八条に関し、

- (ア) 船舶又は航空機を国際運輸に運用することに関連して一時的に預金された資金に対する利子は、その船舶又は航空機の運用による所得とみなされ、当該利子についてば、第十一條の規定は、適用されない。

9. With reference to Article 8 of the Convention,

- (ア) interest on funds temporarily deposited in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall

8. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (other than reimbursement of actual expenses) by a permanent establishment of an enterprise to the head office of the enterprise or to other offices thereof, by way of:

- (ア) royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or for the use of know-how;
- (イ) commission or other charges, for specific services performed or for management; and
- (カ) interest on moneys lent to the permanent establishment; except where the enterprise is a banking institution.

9. With reference to Article 8 of the Convention,

- (ア) interest on funds temporarily deposited in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall

not apply in relation to such interest,
and

(ii) 船舶又は航空機の運用による所得には、国際運輸における物品又は商品の運送に関連するロントナー（ロントナーの運送のためのトレーラー及び関連設備を含む）の使用、保管又は賃貸により取得する所得を含む。

10 条約第八条5に關し、インダの地方公共団体が条約の署名の日の後に日本国における事業税と實質的に類似の性格を有する税を導入する場合には、両政府は、適當とみなされる方法により相互主義の原則に基づいて同条5の規定を改定するため協議しなければならぬ。

本使は、更に、閣下が前記の了解を貴国政府に代わへて確認されるるゝことを要請する光榮を有します。

本使は、以上を申し進めるに際し、より重ねて閣下に向かって敬意を表します。

千九百八十九年三月七日ニリヤ・デリード

インダ駐在日本国

特命全権大使

野田英一郎

Eijiro Noda
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to India

インドの租税（所得）条約

大蔵省直税厅長官

G.N. Gupta
Chairman, Central Board of Direct Taxes,

九〇

His Excellency
Mr. G.N. Gupta
Chairman, Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance

(イノン・側書簡)

(Indian Note)

New Delhi, March 7, 1989

イン・側
書簡

(語文)

書簡をもつて略上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したりしを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

本官は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をイン・共和
国政府に代わって確認する光栄を有します。

本官は、以上を申し進めるに際し、リリに重ねて懇意に回
かって敬意を表します。

千九百八十九年三月七日ニリヤー・アリーデ

大蔵省直税庁長官
G.N. グプタ

G.N. Gupta
Chairman, Central Board
of Direct Taxes,
Ministry of Finance

イン・駐在日本国
特命全権大使 野田英一郎閣下

His Excellency
Mr. Ejirō Noda
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to India

イン・の租税（所得）条約

आप पर करों ते नेहरू मे दोहों कराधान
के परिषद और राजस्व अवश्यन को
रोकते के लिए

जापान की सरकार

और

भारत गणराज्य की

सरकार के बीच

ओं भगवान्

जापान की सरकार और भारत गणराज्य की
सरकार, आप पर करों ते नेहरू मे दोहों
कराधान के परिषद और राजस्व अवश्यन को
रोकते के लिए एक नया अधिकार्य सम्बन्ध काने
की इच्छा से, नीति निसे अनुसार समर्पित है :-

बनुच्छेद ।

यह अधिकार्य उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों
सर्विद्वाकारी राज्यों भे से किसी एक उम्मा दोनों राज्यों के
निवासी है ।

बनुच्छेद 2

१. इस अधिकार्य के प्रयोगों के लिए एक तक कि विषयात
पाठ मे अन्यथा व्यक्तित न हो :-

२. "जापान" शब्द से अस्वीकृत है - एक भागों लिक उद्देश्य
के लिए उपयोग किया जाता है तो सका अंग है जापान
का राज्य होने जिसमे यह भी शामिल है - राज्य लेन्द्री
स्थान पर जापानी कर से स्वीकृत तानन जाप होता

३. जापान मे :

४. भारत-कर ; और

५. नियम कर

६. इन्हें साके बाद "जापानी कर" कहा गया है;

वायरक्ट, जिसमे उस पर लाग्या गया कोई विभाग
भी शामिल है

७. जिसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है ।

८. यह अधिकार्य इसी भी सम्बन्ध अवधा सारतः की तरह के
कर्म पर भी लागू होगा, जो इस अधिकार्य पर हस्ताक्षर किए जाने
की तारीख के प्रधान भारतार्थ । ऐ हालांकि कर्म के अनिवार्य
बक्षा उनके स्थान पर लागू जाणे । तीव्रताकारी राज्यों के
सम्बन्ध प्राक्कारणी दिनही भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में, ऐसे
परिवर्तनों के प्रधान एक समुचित अवधि के भीतर, एक दूसरे को
सुचित करोगी जो उनके अनो-अनो अलान बान्धन मे लिप्त गए हों ।

अनुच्छेद 3

“राज्य क्षेत्रीय समूद्र से परे स्थान के निम्नों उसका समुद्रतल तथा अमृदा भी छापिल है, जिस पर जपान जंतराबदीय कानून के अन्तरार क्षेत्रिकरण यह तथा निम्नों जापानी कर से अन्तर्धित करना प्राप्त है :

“भारत शब्द से अन्तर्धित है— भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है— राज्य क्षेत्रीय समूद्र तथा कोई भी अन्य समृद्धी क्षेत्र निम्नों जारे में भारत को भरतीय कानून के अन्तरार तथा अन्तराबदीय कानून के अन्तरार प्रभुत्वा सम्बन्ध अधिकार प्राप्त है :

“एक सीविडाकारी राज्य” तथा “दूसरा सीविडाकारी राज्य” पदों से विचारात पाठ की अपेक्षा के अनुसार जापान भव्या भारत अन्तर्धित है :

“कर” शब्द से विचारात पाठ की अपेक्षा के अनुसार जापानी कर भव्या भारतीय कर अन्तर्धित है :

“व्यवित्र” शब्द से मोहे व्यवित्र, कोई अमृदा गोर व्यवित्रयों का कोई अन्य विकाय शामिल है :

“कम्पनी” शब्द से कोई भी ऐसा नियांत्रित विकाय अमा कोई सत्ता अन्तर्धित है जिसे कर-प्रयोजनों के निए एक नियांत्रित निकाय के रूप में माना जाता है :

“एक सीविडाकारी राज्य का उद्धर” और “दूसरे सीविडाकारी राज्य का उद्धर” पदों से क्रमसः एक सीविडाकारी राज्य के किसी उद्धर के बीच उक्त जंतरान अच्छा वायुयान सीविडाकारी राज्य के किसी उद्धर से अन्तर्धित होता है :

“सम्प्राप्ति” विकाय उस विधि के बीच उक्त जंतरान अच्छा वायुयान सीविडाकारी राज्य के किसी नियांत्रित विकाय के बीच ही एक सम्प्राप्ति निवारणी द्वारा नियांत्रित की जाती है :

कोई उद्धर आ भयेत है ;

“राजिक्षक” शब्द से अन्तर्धित हो :-

अपान के बारे में :-

मध्ये व्यवित्र निहे जापान को राजिक्षकता प्राप्त है और मध्ये व्यवित्र व्यवित्रत्व वाले मान्य जिन्हे जापान के कानूनों के अन्तर्धित जापानी कर के प्रयोगात् शुभज्ञ अच्छा सामिल निए व्यवित्रयों के रूप में माना गया होे ।

“भारत के बारे में :-

इन को ऐसे सभी व्यवित्र निहे भारत की राजिक्षकता प्राप्त होे :

भारत में प्रवृत्त कानूनों से इस तरह की वैशिष्ट्य प्राप्त हो :-

“अन्तराबदीय यथायात” पद से अन्तर्धित है— किसी ऐसे अन्यान भव्या वायुयान द्वारा कोई भी परिवर्तन जो एक सीविडाकारी राज्य के किसी उद्धर द्वारा सीविडाकारी हो, व्यविडाकारी राज्य के किसी उद्धर द्वारा सीविडाकारी हो, व्यविडाकारी राज्य के किसी उद्धर के बीच उक्त जंतरान अच्छा वायुयान व्यवित्रय उस विधि के बीच उक्त जंतरान अच्छा वायुयान के बीच इससे सीविडाकारी राज्य के स्थगनों के बीच ही क्रमात्मा जाता हो ; और

“सम्प्राप्ति” पद से अन्तर्धित है :

“सम्प्राप्ति” विकाय उस विधि के बीच उक्त जंतरान अच्छा वायुयान प्राप्तिनिधि है :

केन्द्रीय सभाः अथा उनका प्राप्तिकर्त्तव्य मिलानेण।

२०. अहो स्त किसी मिलावारी राज्य द्वारा उस अधिकारी के प्रत्यक्षता का संकेत है, किसी शब्दात्मा का जो उनमें प्राप्तिकर्त्तव्य मिलती है तो, जब त्यक्तिगत पाठ में अन्यथा ओर्डरिंग नहीं हो, तब स्त वही अर्थ होगा जो उस मिलावारी राज्य के बराबर से सम्बद्धित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर ऐ अधिकारी जारी होता है।

अनुच्छेद ४

१०. इस अधिकारी के प्रयोगार्थ, "किसी मिलावारी राज्य का निवासी" पद से अभिषेत हो, तोहे भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसे विवाह, निवास, प्रदूष-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कासीटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है।
२०. अहो प्रेरागाम ! के उपर्योग कोई व्यक्ति दोनों विवाहारार्थी राज्यों का निवासी हो, तबन् तीव्रवारी राज्यों के सम्म प्राप्तिकर्त्तव्य समाप्ति से उस मिलावारी राज्य का निवासी उसी उस राज्य का वह व्यक्ति इस अधिकारी के प्रयोगार्थ एक निवासी समाज अध्या।

अनुच्छेद ५

१०. इस अधिकारी के प्रयोगार्थ, "स्थायी सेवापन" पद से कारोबार का वह निविष्ट राज्य अभिषेत हो, अहो किसी उद्धम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा जीव : चलाया जाता है।
२०. "स्थायी सेवापन" पद में विशेषता निम्नजिजित राज्यालय छोड़ी :-
- १०१. प्रत्येक व्यवस्थाकालीन राज्य ;
 - १०२. कोई शास्त्रा ;
 - १०३. कोई कार्यालय ;
 - १०४. कोई कार्यालय ;
 - १०५. कोई सान् तेल अथवा गैस या कोई कूआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निवासी का कोई अन्य राज्य ;
 - १०६. कोई भाषणागार जिसके कोई व्यक्ति द्वारा को नियम भडारण संस्थाप युद्धा करता हो ;
 - १०७. कोई कार्य, लागिंचा अथवा अन्य राज्य सहानुभवित कार्यक्रमालय तिक्का जाते हो ;
 - १०८. कोई भडार अथवा अन्य व्यक्ति केन्द्र, तथा कोई सोशल अथवा सोका जिसका इस्तेमाल प्रावधिक संसाधनों की गोपनी के लिए विकास जाता हो, जिसके केवल उस विधान से जब उसका इस्तेमाल छः महीने की अवधि से अधिक समय तक विकास गया हो।
 - १०९. कोई भवन-इस्त कला नियमित, सेवापन अथवा पसेक्वली प्रोफेट केवल उस विधान ये कोई स्थायी सेवापन होगा यदि वह छः महीने से बर्द्धक समय तक विभान रहता है।
 - ११. किसी उद्धम का किसी मिलावारी राज्य में कोई स्थायी सेवापन का होना और उस स्थायी सेवापन के माध्यम से

कारोबार का चलाया जाना तभी समझा जाएगा यदि वह उस

संविदाकारी राज्य में किसी निम्नपरिवर्तन अवधा निमापि, सेस्थापना

अवधा ऐसे योजनाली प्रोजेक्ट के संबंध में है कि यहाँने की अक्षित से अधिक समय का पर्याप्ती कार्यक्रमापन करता हो जो उस संविदाकारी राज्य के भीतर घर किए जाते हों।

५. पैराग्राफ ३ तथा ४ के उपर्योगों के होते हुए भी किसी उद्धम

का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी सेस्थापन का होना और उस स्थायी सेस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना तभी माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य में उस संविदाकारी कारोबारी राज्य के अन्तर्गत सिनेज तेलों की सौजन्य, उनके सुपरियोग अवधा निष्कर्ष के बारे में है कि यहीने कोई अवधि से आँख समय के लिए सेवाएँ अवधा सुविधाय प्रदान करता है।

६. इस मुद्देश्वर के पैराग्राफों के उपर्योगों के होते हुए भी

• स्थायी सेस्थापन पर से निवारणित का शामिल नहीं होना। माना जाएगा :

७. उस उद्धम से सेक्षणीय मान अवधा पाय वर्त्तनों के खड़ारण अवधा प्रबन्धन के प्रयोगार्थी मान सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

८. उस उद्धम से सेक्षणीय मान अवधा पाय वर्त्तनों के खड़ारण अवधा प्रबन्धन के प्रयोगार्थी मान सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

९. उस उद्धम से सेक्षणीय मान अवधा पाय वर्त्तनों के खड़ारण अवधा प्रबन्धन के प्रयोगार्थी मान सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

१०. उस उद्धम से सेक्षणीय मान अवधा पाय वर्त्तनों के खड़ारण अवधा प्रबन्धन के प्रयोगार्थी मान सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

११. उस उद्धम से सेक्षणीय मान अवधा पाय वर्त्तनों के खड़ारण अवधा प्रबन्धन के प्रयोगार्थी मान सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

१२. उस उद्धम से सेक्षणीय मान अवधा पाय वर्त्तनों के खड़ारण अवधा प्रबन्धन के प्रयोगार्थी मान सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

{ ८ }

उस उद्धम के लिए मान अवधा पाय वर्त्तनों की पात्र

गरीद करने अथवा उसके बारे में सूचना एवं करने के लिए

त्यापार के किसी निरिचत रथन का स्व-संस्करण करना ;

१३. उस उद्धम के लिए मान किसी प्रारम्भिक अवधा सहाय

किस्म के किसी अन्य कार्यक्रमाप को बलाने के प्रयोगार्थ

प्रापार के किसी निरिचत रथन का स्व-संस्करण करना ।

१४. पैराग्राफ १ तथा २ के उपर्योगों के होते हुए भी यहाँ पर

कोई स्वतंत्र वैशिष्ट्य के किसी प्रोजेक्ट, जिस पर पैराग्राफ ४ तथा

होता हो, से भिन्न कोई अवधि इसे संविदाकारी राज्य के किसी

उद्धम की तरफ से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता हो, उस

उद्धम का प्रयोगित संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी सेस्थापन

का होना तभी माना जायगा;

१५. यदि उसे उस उद्धम की तरफ से उस संविदाकारी राज्य में

लेने को सम्भवन करने का अस्तिकार प्राप्त हो तथा वह

आदत से कोई सम्भवन करता हो, तब तक कि उसके कार्य-

करना पर यदि उसे उस उद्धम के लिए निरिचत रथन पर

सम्पन्न दिया गया हो, पैराग्राफ ६ से उत्तरित कार्य-

करनापाते तक सीमित नहीं हो, जिसके द्वारा कारोबार

का यह निरिचत रथन उस पैराग्राफ के उपर्योगों के तरत

एवं स्थायी सेस्थापनहीं बनेगा :

१६. उसके पास इस तरह का कोई प्रारंभिक नहीं हो किन्तु

वह प्रयोगित संविदाकारी राज्य में ऐसे मान अवधा

पाय वर्त्तनों का एवं स्टार्ट बादत रखता हो जिसमें से

वर्त्तनों के किसी स्टार्ट का प्रयोग रखता करना ;

वह नियमित स्थ से उस उधम की तरफ से माल वस्त्रा प्राप्त वस्त्रों की डिजोक्टरी करता हो ; वस्त्रा

वह उस प्रभारीलिखित सीविदाकारी राज्य में आदतन बांडा प्राप्त करता हो, पूर्वतः वस्त्रा भागमा पूर्णतः स्वयं

उस उधम के लिए वस्त्रा उधम के लिए और ऐसे उधमों के लिए जो नियमित रखते हों, नियमित में रहते हों, वस्त्रा उस उधम की तरह उस ऐसे नियमण में रहते हों ।

8.

किसी उधम का किसी सीविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना मान् जूस कारण नहीं माना जायगा कि वह किसी दलान, सामान्यबमण्डन एजेंट वस्त्रा किसी खत्तन वाले किसी अन्य एजेंट की माफत उस सीविदाकारी राज्य में स्वापार चलता हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में जारी करते हों ।

9. क्षा तथा से कि कोई कम्पनी जो किसी सीविदाकारी राज्य की नियमित नियमानुसारी वस्त्रा उसके द्वारा नियमित होती है जो इसे सीविदाकारी राज्य की नियमानुसारी वस्त्रा जो इसे सीविदाकारी राज्य में बचाए किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से वस्त्रा बन्यार्थी कारोबार चलाती हो, दोनों में से किसी भी कम्पनी को दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन का दर्जा नहीं देता है ।

अन्तर्दृष्टि 6

10. एक सीविदाकारी राज्य के किसी नियमानुसारा इसे

सीविदाकारी राज्य में रियल एक्जेल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में कर भाग्या जा सकेगा ।

"बवत सम्पत्ति" पद का कई वही होगा जो उस सीविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसका वह है जिसमें स्वीकृत सम्पत्ति दियत है । इस पद में किसी भी दाता जो ये शर्तियाँ होते हैं -- बवत सम्पत्ति के संसाधन के स्थ से सम्पादित, विष और वाकिनी में प्रयुक्त पश्चिम और

उपचर, ऐसे अधिकार जिन पर बवत सम्पत्ति स्वीकृती सामान्यानुसार के उपबोध नापु होते हैं, बवत सम्पत्ति को भी जैसे के अधिकार और सिनेज भड़ाताहै, सोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संसाधन के लिए, वस्त्रा कारोबारी विकास के प्रतिष्ठान के स्थ में परिवर्तित वस्त्रा नियम वस्त्रायागमों के अधिकार ; जन्मान तथा वाच्यान बवत सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे ।

3. ऐरप्राप्ति । के उपबोध बत्त सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किए पर देने वस्त्रा किसी अन्य प्रकार के उपयोग में दोनों वाली जाय पर भी नापु होते हैं ।

4. ऐरप्राप्ति । तथा ३ के उपबोध बत्त सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे प्राप्त वाय पर तथा खत्तन वैपाकिन सेवाओं के नियमानुसार के लिए प्रयुक्त कान सम्पत्ति से प्राप्त वाय पर भी जाय जाएगी ।

अन्तर्दृष्टि 7

१. विसी सीविदाकारी राज्य के निमी उधम के नाभों पर केल उसी सीविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जल तक कि वह उधम इसे सीविदाकारी राज्य में रिष्ट कियी रखायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य के कारोबार नहीं करता हो । यदि वह उधम उपर्युक्त तरीके से कारोबार चलाता हो तो उस उधम के नाभों पर इसे सीविदाकारी राज्य के कर जाएगा जो कहता है, किन्तु उसे नाभों के केल उसे आ पर ही कर जाएगा जो कहेगा जो प्रत्यक्षत-

संखा आ उत्थक्षतः उस स्थायी संस्थापन के कारण हो ।

२. पेराग्राफ ३ के उपलेखों के अधीन रहते हुए वहाँ यह कि सीविदाकारी राज्य का कोई उधम इसे सीविदाकारी राज्य में रिष्ट कियी रखायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो, तो प्रत्येक सीविदाकारी राज्य में ऐसे नाभों को उस स्थायी संस्थापन ना जाए स्थान जाया जो उसे उस रिष्टते से प्राप्त होने की संभावा रहती जल्द वह यह-स्थान बंधा उससे निष्टी-भूती परिस्थितियों में यह-स्थान या उससे निजते-भूते कार्यक्रमों से लगा हुआ कोई निषिवाचत वोर रिं-उधम होता और उस उधम के साथ पूर्णता स्वतंत्र रम तो कारोबार करता जिक्का वह यह स्थायी संस्थापन है ।
३. विसी स्थायी संस्थापन के निर्णय करने में उन स्थानों को कटौतियों के सुप्र में कमाते दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनाएँ किये गए हों, जिनमें इस प्रकार के किये गए कार्यान्वयन क्षमे भी शामिल हों, चाहे कि उस राज्य में किये गए हों वहाँ वह स्थायी संस्थापन रिष्ट के बंधा बन्धन किये गए हों ।
४. वही निमी सीविदाकारी राज्य में यह प्रथा रही है कि

विसी स्थायी संस्थापन को होने वाले नाभों का निष्टर्याम उधम के बूल नाभों को उसके विभिन्न भागों में विभाजन के आधार पर किया जाता हो, वहाँ पेराग्राफ २ की कोई भी बात उस सीविदाकारी राज्य को प्रश्न अनुसार विभाजन के द्वारा कर योग्य नाभों का निष्टर्याम करने से निष्कारित नहीं करती ; तथापि, विभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसके परिवर्तन सम अनुच्छेद से विविहत निष्टान्तों के अनुकूल हों ।

५. कोई भी ऐसा नाम यात्र स्व कारण से विसी स्थायी

संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जायगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उधम के लिए यात्र यात्रा कर्त्ता वस्तुतः यात्री हो जाए ।

६. इस अनुच्छेद के प्रकृती पेराग्रामों के उपलेखों के प्रयोजनाएँ तथायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए नाभों वाले वाले नाभों का तत्काल व्यवहार उसी पद्धति से निष्टर्याम किया जाता रहेगा जल तक कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

७. वही पर नाभों में जाय की ऐसी मद्दताभिलाङ्घ विज्ञान इस अभिभाव के अन्य अनुच्छेदों से अंग से विवेकन किया गया है, वही पर उन अनुच्छेदों के उपलेख सम अनुच्छेद के उपलेखों से प्रभावित नहीं होते ।

अनुच्छेद १०

- विसी सीविदाकारी राज्य के निमी उधम द्वारा क्रन्तर-राजदीय यातायात में वायुयान के परिवालन से प्राप्त नाभों पर उसी सीविदाकारी राज्य में कर लाया जाएगा ।
- विसी सीविदाकारी राज्य के निमी उधम द्वारा

अन्तराष्ट्रीय यात्रायात में वायुमानों के परिवाल से प्राप्त ताजे पर केवल उसी सिविदाकारी राज्य में कर जौगा ।

३. प्राप्ति २ के उपलब्धों के होते हुए भी, ऐसे ताजों पर उस दूसरे सिविदाकारी राज्य में कर जौगा जहाँ से कराये प्राप्त

दूसरे वर्षों की अवधि के दौरान अमा "पूर्ववर्ती वर्षों" में, जैसा भी मासमाण हो, प्राप्ति ३ के, जिस अवधि के लिए यह विस्मय प्रभावी होगा ज्ञाहों द्वारा प्रकार प्रभावित कर की मिसानि

निम्नलिखित से गोष्ठी नहीं हो :

प्रथम वार्षों के दौरान, ५० प्रतिशत

दूसरे वार्षों के दौरान, उस दूसरे सिविदाकारी राज्य के काराखान कानून के द्वारा बनाया जाय गए कर की मात्रा का २५ प्रतिशत ।

४. इस अनुच्छेद के पृष्ठपर्मे के उपलब्ध किसी रूप, किसी समृद्धत कानून के प्राप्ति एकीने भी वार्षिक वायुमानों पर भी नामों पर भी नामों की लिए ।

५. अनुच्छेद २ के उपलब्धों के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपलब्ध अपान में उधम कर पर भी नाम होने के साफ़ा-साफ़ा उस उधम कर के लिए जूनों के उपलब्ध-जूनों किसी कर पर भी उस विस्थिति में नाम होने जहाँ कभी ऐसा कर भारत में लाया गया हो ।

अनुच्छेद ७

६. एक सिविदाकारी राज्य का कोई उधम दूसरे सिविदाकारी

राज्य के लिमिट उधम की ब्रह्म व्यवस्था, नियमण अथवा दूसरे लिमिटों में प्रत्यक्षतः बख्ता या अन्तर्क्षतः भाग लेता है, अस्त्रा

वही व्यक्ति एक सिविदाकारी राज्य के लिमिट उधम को दूसरे सिविदाकारी राज्य के लिमिट उधम की प्रब्रह्म व्यवस्था, नियमण अथवा दूसरी लिमिटों में प्रत्यक्षतः बख्ता

अनुच्छेदतः भाग लेते हैं :

दूसरे शी अस्त्रा जो मे, दोनों उधमों के बीच उनके वायुमानों वायुमानितीय संबंधों में ऐसा जाते हुए, जो रेसी गतीं से चिन्ह हों जो ब्रह्मसे उधमों के बीच रही जाती हो, तो ऐसा कोई भी ताप जो उन शर्तोंके नहीं होने की ज्ञाना से दोनों उधमों में से किसी एक उधम को प्राप्ति हुआ होता प्राप्ति उधम के आभों से काराय कह इस प्रकार प्राप्ति नहीं हुआ हो, उस उधम के आभों से समीक्षित किया जा सकता और तदुसार कर लाया जा सकता ।

२०. जहाँ पर एक सिविदाकारी राज्य उस सिविदाकारी राज्य के लिमिट उधम के नामों में उन नामों की समीक्षित करता है और तदुसार कर लाया है-जिस पर इसे सिविदाकारी राज्य के लिमिट उधम पर उस दूसरे राज्य में कर लाया गया है और जहाँ पर सिविदाकारी राज्यों के सभा प्राप्तिकारी विवार-विस्थिति के अवाराव इस बात पर सम्मत होते हैं कि इस प्रकार समाप्तित किय गए दूसरे नाम वस्त्रा ताजों का कोई क्षा ऐसे ताप है जो प्रभावोन्ततित सिविदाकारी राज्य के उस उधम को प्राप्त हो गए होते हैं दूसरे उधमों के बीच बनाई गई शर्तें इस तरह की होतीं जो

राज्य उस तरह से सम्पत्ति प्राप्त जानी पर, उन पर प्रभारित कर की माला के अनुसार सम्पत्ति स्थानों पर करोगा। इस तरह का समा-योजन करने में इस विषय के अन्य उपचरणों पर ध्योनित ह्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 10

1. निकटी एक सीविडाकारी राज्य की निवासी कम्पनी उसे द्वारा इसे सीविडाकारी राज्य के निवासी को बदा किए गए नामांश उस दूसरे सीविडाकारी राज्य में कराहेय कोगे।

2. स्थानि, इस प्रकार के नामांश उस सीविडाकारी राज्य में भी कानून कोने, जिसकी नामांश बदा करने वाली कम्पनी उस सीविडाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार वहाँ निवासी है जोकिन यदि प्राप्तकर्ता नामांशों का विवासी रहानी है, तो इस प्रकार के प्रभावित कर की रकम उबल नामांशों की स्फूर्ति रकम के 15 प्रतिलाल से अधिक नहीं होगी। इस दूसराप के उपर्युक्त उस कम्पनीजिल्लामें से संबंधित कराहान को प्रभावित नहीं करोगे, जिसमें से नामांशों का शालान दिया जाता है।

3. इस निवासदे ने यथासुन्त "नामांशो" शब्द का अधिकार्य हेतु दूसरे बदा बन्ध बीक्षारों से, जो इन दावे नहीं हो, जो नाम में वानिन को प्राप्त बाध, तथा बन्ध निवासित बीक्षारों से प्राप्त बाध दिल पर उसी प्रकार की कानून व्यवस्था नाम होती है जो उस सीविडाकारी राज्य के कानूनों द्वारा देखा जाय के मान्यता में नाम होती है जिसमें विवरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. ऐरामाप । बौद्ध 2 के उपर्युक्त उस विधि में जागृ नहीं होने यदि नामांशों का विवासी रहायी, जो निकटी एक सीविडा-

कारी राज्य का निवासी है, इसे सीविडाकारी राज्य में बदा निवास निवासी स्थानपन के माध्यम से घायपार करता है, जिसकी

निवास सम्बन्ध बदा करने वाली कम्पनी निवासी है, बदा उस दूसरे सीविडा-कारी राज्य में बदा निवासित स्थान से स्वतंत्र व्यवितरण करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में नामांशों की अदायगी की जाती है वे इस प्रकार के राज्यपी स्थानपन अस्ति-

निवासित स्थान से प्रभावी स्तर से सञ्चाल है। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 विकास अनुच्छेद 14 ज्ञाना भी मामला हो, के उपर्युक्त नाम होने।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो निकटी सीविडाकारी राज्य की निवासी है, इसे सीविडाकारी राज्य से नाम बदा जाय प्राप्त करती है, ऐसे मामले में उस कम्पनी द्वारा बदा किए गए नामांशों पर जहाँ तक ऐसे नामांशों की छोड़कर, जो इसे सीविडाकारी राज्य के निकटी निवासी को बदा किए गए हों अस्ता यहाँ तक जिसी स्थानपन के बारे में नामांशों की बदायां की गई हों, जो उस दूसरे सीविडा-कारी राज्य में विधि विवरण करावी रकम से सञ्चाल है, उस दूसरे सीविडाकारी राज्य में न तो कोई कर ज्ञाया जायगा और न ही कम्पनी के विवितरित नामांश पर विवितरित नामकर की निकल का कोई कर ज्ञाया जायगा, ऐसे ही बदा किए गए नामांश बदा बदायां विवितरित नाम पूर्णतः बदा ज्ञातः। उस दूसरे सीविडाकारी राज्य में उस्तन होने वाले नाम बदा जाय के रकम में ही हो।

セグンド ।।

1. **किसी सीविदाकारी राज्य में उत्तन होने वाले तथा दूसरे**

सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ब्रदा जिए जाने वाले व्याज

पर उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में कर लोगा ।

2. **तथापि, इस प्रकार के व्याज पर सीविदाकारी राज्य में**

भी और उस सीविदाकारी राज्य के नानाओं के अमार कर लोगा,

जिस राज्य में यह उद्भव होता है किंवदि यदि प्राप्तकर्ता व्याज का

हितमीणी खाना है तो उस प्रकार प्रभागित कर की राखि

निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :

इनमें व्याज की समान राशि का 10 प्रतिशत, यदि हितमीणी

खाना की तुलना में अधिक है ; तो

सभी उन्ह्य मानोंने ये व्याज की तरफन राशि का 15 प्रतिशत

3. **प्राप्ति 2 के उपर्युक्ते के लोते हुए भी किसी एक सीविदा-**

कारी राज्य में दूसरे सीविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनी-

पीक्स उप-भाग वक्ता वक्ता स्थानीय प्राप्तिकरण, दूसरे सीविदाकारी राज्य

के केन्द्रीय लेके वक्ता उस सरकार के लिएः स्थानीय वानी किसी

वित्तीय संस्था द्वारा गारंटीदाता वक्ता अपन्तक स्तर से वित्त

प्रोत्तेत चेष्ट दावों के मौके पर उद्भव तथा उक्त दूसरे सीविदाकारी

प्राप्तिकरण, उस दूसरे राज्य के केन्द्रीय लेके वक्ता उस सरकार के

प्रतिक्रिया, उस दूसरे राज्य के केन्द्रीय लेके वक्ता उस सरकार के

प्रतिक्रिया, उस सरकार के केन्द्रीय लेके वक्ता उस सरकार के

प्रभागित सीविदाकारी राज्य में कर से अट प्राप्त होगी ।

4. **प्राप्ति 3 के प्रयोगार्थ, "उन्नीशीय सम्भा" पर का अभिधार :**

किसी जापान के मानों से :

प्राप्ति 3 के आपान,

जापान का निवात-आयात लेके :

सुखदपारीय आक्रम सहायोग निर्विधि :

जापान उत्तराइस्ट्रीय सहयोग अधिकारण, और

ऐसी अन्य वित्तीय सेवा, जिसकी दृष्टि का

स्थानिक पूर्णता जापान सरकार द्वारा शारित हो, जो दोनों सीविदाकारी राज्यों की सरकारों

के बीच सम्यन्मय पर सहमत हो ;

भारत के मानों से :

भारतीय रिजर्व लेके :

भारत का नियन्त्रित-भारत लेके :

ऐसी अन्य वित्तीय संस्था, जिसकी पूर्जी भारत

सरकार द्वारा पूर्णता हासित हो तथा दोनों

सीविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सम्बन्ध-

सम्पर्क पर सहमत हो ।

5. सा अच्छेद से यथाप्रयुक्त "व्याज" शब्द से अभिधार है -

प्रत्तेक प्रकार के चेष्ट-दावों से प्राप्त व्याज, जो हो वे ब्रेक द्वारा

प्रत्तेक प्रकार के चेष्ट-दावों से प्राप्त व्याज, जो हो वे ब्राह्मिक वानी किसी निवासी द्वारा प्राप्त व्याज को

सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त व्याज को

प्रभागित सीविदाकारी राज्य में कर से अट प्राप्त होगी ।

प्राप्त वाय, जिसे ऐसी प्रतिशेषियों, बक्षतों वस्त्रा क्षम्पने से निवित्त प्रीभियम और प्रस्तुत भी गोपित है।

6. पैराग्राम 1,2 और 3 के उपर्युक्त उस नियमिति में जागू नहीं होने चाहिए का निवासी त्वामी, जो किसी मिविदाकारी राज्य का निवासी हो। इसे मिविदाकारी राज्य में जिसे आज,

प्रतिशत इवा हो, वहा नियमिति राज्यी सत्यान के माध्यम से कारोबार चलाता है अस्ता उस इसे मिविदाकारी राज्य में वस्त्रा नियमिति नियित रथान से लगते लेयिविक्स सेवाप सम्पन्न करता है और जिस रण दाते हैं जारे में आज बदा किया गया हो वह इस प्रकार के राज्यी सत्यान अस्ता नियित रथान से प्रशारी से संबंधित हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अस्ता 14 के उपर्युक्त

प्रयाप्तियों तथा होने।

7. किसी मिविदाकारी राज्य ने आज उस नियमिति में उद्दिष्ट हुआ समझा जाएगा, जब आज आ करने वाला स्वयं वह मिविदा-कारी राज्य, उस मिविदाकारी राज्य का कोई राज्यनिति के उप-प्रधान कोई स्थानीय प्राविकरण अस्ता करोड़ निवासी हो। किसे वहा आज अदा करने वाले नियिति का, वह वह किसी मिविदाकारी राज्य का निवासी हो अस्ता नहीं हो, किसी मिविदाकारी राज्य में कोई नियमिति रथान कोई नियमिति सत्यान वह मिविदा-कारी राज्य के नियमिति निवासी नहीं जाने वाली करने वाली तथा तकनीकी सेवाओं के लिए कीस के भूतान पर उस इसे मिविदाकारी राज्य से कर लाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 12

1. एक मिविदाकारी राज्य ने उद्दिष्ट होने वाली और इसे मिविदाकारी राज्य के किसी निवासी नों अदा की जाने वाली राज्यीरत्यों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए कीस के भूतान पर उस इसे मिविदाकारी राज्य से कर लाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी राज्यीरत्यों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए कीस पर उस मिविदाकारी राज्य में भी, जिसे वे उद्दिष्ट होती हैं तथा उसी मिविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, कर लाया जा सकेगा, किंतु यदि प्राप्तकर्ता राज्यीरत्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए कीस का नियमिति त्वामी हो तो उस प्रकार लगाए गए कानून की राज्यीरत्यों का नियमिति त्वामी होने के लिए कीस की स्थिति राखिए।

20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

३. इस अन्वेषण मे याप्रयुक्त रायिट्या शब्द से सार्वत्रिक कला-तक्क अथा कलानिक कल्पने, जिसमे कल्पना, जिसमे विचार, जिसमे तथा रेडियो वस्तु हरखें प्रसारण के लिए फिल्मों तथा टेली भी शामिल हैं, कोई प्रेट-टेल्यूमार्क, डिजाइन अथवा मार्टिन, लाल गुस्त मार्किना अथवा प्रिंटिंग अथवा प्रिंटिंगिक्सर के लिए, कॉपी-राइट के लिए अथवा ऑफोनिक, वारिणीज्ञक अथवा ऑफोनिक, वारिणीज्ञक वस्तु के स्क्रीनिंग जो कल्पना के लिए उपलब्ध हो अथवा अन्वेषण १४ के उपर्योग, ऐसा भी उसके प्रयोग अथवा प्रयोगानिक्सर के लिए प्राप्त किसी प्रकार की बदायगी अधिसूचित है ।

४.

इस अन्वेषण मे याप्रयुक्त "कलानिकी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिषेत है, किसी प्रबल्कीय, कलानिकी अथवा पार्मार्गदारी की स्वरूप की सेवाओं के प्रतिक्रिया मे अन्वेषण १५ मे उल्लिखित स्वतंत्र व्यविचार सेवाओं के लिए अदायाधिग्राह्य करने वाले तो उल्लिखित के किसी कलानिकी को जो आने वाली अदायाधिग्राह्य से जिस किसी व्यविचार को को आने वाली अदायाधिग्राह्य से जिस किसी बदायगीया ।

५. भौतिक १ और २ के उपर्युक्त उस विधिति मे जाग्र नहीं होगी,

यदि रायिट्यों अथवा कलानिकी सेवाओं के लिए वित्तीयी खादी,

पर कलिकारक १ राय या का निवाली होने के बाते, उसे भवित्वाकारी

राय मे, जिसमे रायिट्यां अथवा कलानिकीसेवाओं के लिए फीस उद्भूत हीती हो, वहां पर स्थित किसी स्थायी सेवाधारण के माध्यम

मे कारोबार करता हो अथवा उसे भवित्वाकारी राय या को वहां पर विधित किसी निविचत स्थान से खाली करता

हो तथा जिस अधिकार, सम्पूर्ण अथवा जो के स्वरूप नहीं किसी द्वारा द्वारा

अथवा कलानिकी सेवाओं के लिए फीस की अदायगी नीवारी है, उसका मौलिक प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी सेवाधारण अथवा निविचत स्थान से हो, ऐसे मासमे मे अन्वेषण ७ अथवा अन्वेषण १५ के उपर्योग, ऐसा भी मासमान हो, जाप्त होने ।

६.

रायिट्यों तथा कलानिकी सेवाओं के लिए फीस एक मौलिकारी राय मे उस विधित मे उद्भूत होई मानी जाएगी जब बदाकर्ता स्वयं वह सिविदाकारी राय, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई लक्षणीय प्राक्तिकरण हो अथवा उस सिविदाकारी पारम्परी के लिए फीस के लिए भौतिकी राय का विवासी हो अथवा नहीं है, उस सिविदाकारी पर कलिकारी राय मे जिसकी विविचत स्थान, जिसके मौलिक सेवाओं के लिए अदायाधिग्राह्य करने वाले तो उल्लिखित के जानी हे और जिसी रायिट्यों अथवा कलानिकी सेवाओं के लिए फीस को ऐसे स्थायी सेवाधारण अथवा कलानिकी सेवाओं के लिए फीस जाता हे तो ऐसी रायिट्यों वस्तु निविचत स्थान द्वारा वहां किया जाना, उस सिविदाकारी राय मे उद्भूत द्वारा माना जाएगा,

जिसमे रायायी हस्तान उस विधित स्थान विधित होता है ।

७.

जहां बदाकर्ता और वित्तीयी स्थायी के बीच वस्तु निविचत दोनों और किसी अन्य क्लिक्स के बीच, जिसे प्रकार का संबंध होने के कारण रायिट्यों अथवा कलानिकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, रायिट्यों अथवा कलानिकी सेवाओं के लिए फीस के भौतिक अथवा उपर्योग विक्षेत्र वस्तु अथवा संज्ञा को ध्यान से रखते हुए, उस रकम से क्य जाती है जिस पर का प्रकार का अन्य नहीं किसी द्वारा द्वारा कार्रारी और

किसी भारी समस्त हो गए हों, वह पर क्षमा अनुच्छेद के उल्लंघन के बिना तब तक रखन पर ही आय होगे। ऐसे मामले में, अधिक अदा की गई रकम इस अवधिमय के अन्य उपबंधों पर योग्योचित दायान देते हुए प्रत्येक सीविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य होगी।

अनुच्छेद 13

1. किसी सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे सीविदाकारी राज्य में स्थित अबल सम्पत्ति के अन्तर्गत ऐसा प्राप्त होने वाले अभिनाशी पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. अबल सम्पत्ति के निम्न किसी ऐसी सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त हुए अभिनाशी पर, जो दोनों सीविदाकारी राज्यों में से किसी एक सीविदाकारी राज्य के किसी स्थानी स्थान की व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे सीविदाकारी राज्य में निर्धारित हो वहा जो दोनों सीविदाकारी राज्यों में से किसी एक सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्येतिहास क्षेत्रों के भाग के रूप में दूसरे सीविदाकारी राज्य में निर्धारित होने वाले वास्तविक स्थान के संभिक्षित करनापेक्षा उसी सीविदाकारी राज्य में कार्राई के संभिक्षित करनापेक्षा नहीं हो अथवा वह किसी कार्राई की अवधा "निष्ठा व्यापारी" के दो रात के बीच लिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या कर्तिकामे के निष्ठा व्यापारी भी मामला हो, उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में नहीं रहा हो। यदि उसके पास उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में एक ऐसा निरिचत स्थान है जहाँ उक्त कार्राई या अवधि की निष्ठा व्यापारी के अन्तर्गत से प्राप्त होने वाले अभिनाशी पर आपत्ति है, तब उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. जब तक कि पैराग्राफ 2 के उल्लंघन नहीं हो, तब तक

किसी कमानी, जो दूसरे सीविदाकारी राज्य की निवासी हो, के लियाँ अनुच्छेद से एक सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा विर्त्ति देने वाले सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा विर्त्ति के अनुसारों पर उस दूसरे सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद से उल्लिखित सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिनाशी व्यापारिक सम्पत्ति के अन्तर्गत से उल्लिखित सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिनाशी पर केवल उसी सीविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जायगा।

4. किसी सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 4 के अनुसार सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद से उल्लिखित सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिनाशी व्यापारिक सम्पत्ति के अन्तर्गत से उल्लिखित सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिनाशी पर केवल उसी सीविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जायगा।

5. किसी सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 5 के अनुसार सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद से उल्लिखित सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिनाशी व्यापारिक सम्पत्ति के अन्तर्गत से उल्लिखित सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त अभिनाशी पर केवल उसी सीविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जायगा।

अनुच्छेद 14

1. किसी सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यापारिक स्थानों के भाग के रूप में दूसरे सीविदाकारी राज्य में कार्राई के संभिक्षित करनापेक्षा उसी सीविदाकारी राज्य में कार्राई के संभिक्षित करनापेक्षा नहीं हो अथवा वह किसी कार्राई की अवधा "निष्ठा व्यापारी" के दो रात के बीच लिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या कर्तिकामे के निष्ठा व्यापारी भी मामला हो, उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में नहीं रहा हो। यदि उसके पास उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में एक ऐसा निरिचत स्थान है जहाँ उक्त कार्राई या अवधि की निष्ठा व्यापारी के अन्तर्गत से प्राप्त होने वाले अभिनाशी पर आपत्ति है, तब उस दूसरे राज्य में कर लगाये जानी वाली अभिनाशी भी आपत्ति होगी, जो उक्त कार्राई व्यापारी की दोरान उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में उस निरिचत स्थान के नाम

उद्देश्य इह मानी जाती है कि वक्ता प्राप्त सोनी है ।

२. "व्यावसायिक देवता" पर के अधिकार में जोकोवत्या

त्वारित वैज्ञानिक, सार्वजनिक वक्ता अवश्यपन मंडली कार्यकालपो के साथ-साथ चिकित्सकों कीलों इन्हीन-यरों वा चिकित्सकों और ऐसा पालने के स्वतंत्र कार्यकालीन शीर्षभित्र है ।

अनुच्छेद १५

१. अनुच्छेद १६, १८, १९, २० और २१ के उपबंधों के अधीन रहने

एष विसी मीविदाकारी राज्य के विसी निवासी द्वारा विसी नियोजन के संघर्ष में प्राप्त केवल, मजदूरी तथा इसी प्रकार के कन्य पारिश्रमिक पर

केवल उस मीविदाकारी राज्य में कर जायाया जा सकता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहाँ से प्राप्त

होता है, उस दूसरे मीविदाकारी राज्य में कर जाया जा सकेगा ।

२. पैराग्राफ १ के उपबंधों के होते हुए भी विसी मीवि-

दाकारी राज्य के विसी उच्च द्वारा कन्तराराज्यदीय यातायात में विसी

जलयान वक्ता वास्तवान पर स्वार होकर उसके पारिश्रमिक जलयान में किए

गए विसी नियोजन के संघर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल

उसी मीविदाकारी राज्य में जायाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद १६

विसी मीविदाकारी राज्य के विसी निवासी द्वारा, विसी कन्यनी के निवेशक मण्डल के यह सदस्य की हैतियत में, जो दूसरे मीवि-दाकारी राज्य का यह निवासी है, प्राप्त निवेशक की पीस और केवल कन्य समाप्त वदायनियों पर उस दूसरे मीविदाकारी राज्य में कर करेगा ।

अनुच्छेद १७

मामला हो, के दोरान कल नियान्त्रक १०३ दिन से अविक-

की अधिक वक्ता अधिकारों के लिए उस दूसरे मीविदाकारी

राज्य में सोन्दर रहा हो ;

३. पारिश्रमिक विसी ऐसे नियोजक द्वारा वक्ता उसकी ओर से

करा दिया जाता है, जो उस दूसरे मीविदाकारी राज्य का नियासी नहीं है ; और

४. पारिश्रमिक विसी ऐसे शायदी सेवण पर वक्ता विसी नियोजन स्थान से वहन नहीं लिया गया हो, जो नियोजक दूसरे मीविदाकारी राज्य में है ।

अनुच्छेद १८

विसी मीविदाकारी राज्य के विसी निवासी द्वारा, विसी कन्यनी के निवेशक मण्डल के यह सदस्य की हैतियत में, जो दूसरे मीवि-दाकारी राज्य का यह निवासी है, प्राप्त निवेशक की पीस और

कन्य समाप्त वदायनियों पर उस दूसरे मीविदाकारी राज्य में कर करेगा ।

वक्ता वाचिक विसी लियोजन द्वारा वक्ता उसकी ओर से

कराया जाता है, जो उस दूसरे मीविदाकारी राज्य का

१. अनुच्छेद १४ और १५ के उपबंधों के होते हुए भी, विसी विसी मीविदाकारी राज्य का निवासी है,

मानोराजनत के रूप में ऐसे नियेट, विविच, रेडियो वक्ता द्वारा जीतने

कलाकार, और किसी कलाकार या किसी निलाई के स्थान में, उसे मिविदाकारी राज्य में उस प्रकार सम्पन्न किए गए जैसे लोकतात्त्वकारी राज्यों से प्राच्य भाष्य पर उस दूसरे मिविदाकारी राज्य में कर सकेगा ।

तथापि, ऐसी भाष्य पर उस दूसरे मिविदाकारी राज्य में

कर से छट प्राप्त होगी, यदि ऐसे कार्यकारीप किसी अधिकरण द्वारा, जो प्रभागीलिंगित मिविदाकारी राज्य का निवासी है, दो मिविदाकारी राज्यों की सांख्यिक बादान-प्रदान के लिए स्वीकृत किसी लिख कार्यक्रम के अनुसार जैसे होते हैं ।

2. जहाँ किसी मानोज-जनकर्ता अथवा किसी द्वारा अपनी है, जो हेतुयत से लिप्य गण व्यवस्थात कार्यकारीपों से उद्भृत भाष्य स्वर्ग उस मनोरंगकर्ता अथवा किसी द्वारा अपनी अन्य अधिकता होती है, जो दूसरे मिविदाकारी राज्य का निवासी है, तो अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपलब्धते के होते हुए भी उस भाष्य पर कर प्रभागीलिंगित समिविदाकारी राज्य में लग सकेगा ।

तथापि, ऐसी भाष्य पर उस प्रभागीलिंगित मिविदाकारी राज्य में कर से छट प्राप्त होगी, यदि ऐसे कार्यकारीप दो समिविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सांख्यिक बादान-प्रदान के लिए स्वीकृत एक निवासी के अनुसार में किए जाते हैं ।

के सम्मेलनों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिकों पर कर केवल उस मिविदाकारी राज्य में लोगा ।

अनुच्छेद 19

1. किसी मिविदाकारी राज्य अथवा स्थानीय प्राक्षिकरण द्वारा किसी अधिकरण को उस मिविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राज्योंकीक उप-प्रभागा अथवा स्थानीय प्राक्षिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में जहाँ की गई क्षेत्र से निष्ठ पारिश्रमिक पर कर उस मिविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा ।

2. किसी किसी मिविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राज्योंकीक उप-प्रभागा अथवा किसी स्थानीय प्राक्षिकरण द्वारा किसी अधिकरण को उस मिविदाकारी राज्य, अथवा उसके किसी राज्योंकीक उप-प्रभागा अथवा स्थानीय प्राक्षिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में निष्ठायें द्वारा बदा की गई अथवा ऐसी निष्ठायें में से, किसी

अनुच्छेद 18

अनुच्छेद 19 के उपलब्धते के अधीन एक मिविदाकारी राज्य के किसी निवासी को निवास ते निष्ठोजन के प्रतिस्त

तिप्र प्राप्ति किया जाता है, बस की गई किसी केन पर उस मिविदाकारी राज्य में ही कर ला सकोगा ।

३१३३ तथापि, ऐसी केन पर केवल उस दूसरे मिविदाकारी राज्य

में कर उस विधित में लोगों, यदि अधिकृत उस दूसरे मिविदाकारी राज्य का निवासी राजा राखिद्द है ।

३२३४ अनुच्छेद १५, १६, १७ और १८ के उपर्युक्त किसी मात्राकारी

राज्यकारीहस्तके किसी राजनीतिक उप-प्रभाव अस्ता किसी स्थानिय प्राप्ति-

करप द्वारा चलाए गए किसी कानूनकार के संबंध में सम्बन्ध की गई

स्थानों के तिप्र प्राप्त प्राप्ति विधिक गोर केनों पर जाप होगे ।

अनुच्छेद २०

किसी विधायी वस्त्रा-व्यावसायिक प्रशिक्षकों, जो एक

मिविदाकारी राज्य का दोरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे मिविदाकारी

राज्य का निवासी हो अस्ता या तथा जो प्रभावित सिविदाकारी अनुच्छेद के अनुसार अन्त अनुच्छेद, किसी वस्त्रा व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रयोगार्थ प्राप्ति

उपर्युक्तों पर उस प्रभावित सिविदाकारी राज्य के वर से छट

प्राप्त होगी, अन्त कि ऐसी विधायियों उसे उस प्रभावित सिविदाकारी राज्य के आहर से की जाती है ।

अनुच्छेद २१

१. किसी प्राप्ति वस्त्रा व्यावसायिक को, जो किसी विधायी

व्यायाम-विधायी विधायी व्याया अन्यान्या प्राप्ति शैक्षिक स्थान

में अव्याप्त अस्ता अनुसार के प्रयोगार्थ दो वर्ष में अधिक की अवधि

के तिप्र किसी मिविदाकारी राज्य में अस्तायी स्थान से दौरा करता है,

अनुच्छेद २२

१. किसी मिविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की

मरणों पर, जो कहीं उत्तरान होती हो, इस विभावित स्थान के पूर्वतीर्ती

अनुच्छेदों में जिन पर किवार नहीं किया गया हो, केवल उस मिविदा-

कारी राज्य में कर लोगा ।

२. पैराग्राम १ के उपर्युक्त, अनुच्छेद ६ के पैराग्राम २ में

व्याया-प्राप्ति विधायी व्याया अन्यान्या प्राप्ति विधायी स्थान से विधायी

व्याया पर उस विधित में लाप्त नहीं होगी, यदि ऐसी व्याया को प्राप्ति

करने वाला, किसी मिविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे मिविदाकारी राज्य में विधित किसी स्थानीय स्थानान्तर के माध्यम

से उसमिविदाकारी राज्य में व्याया पर करता है अस्ता उस दूसरे

मिविदाकारी राज्य में दूसरे पर तिथि किसी निविदित स्थान से त्वरित

विधिकृत विधायी व्याया अनुसार करता है और जिस अधिकार वस्त्रा स्थानीय

प्राप्त होने वाली आय की अव्याप्ति करता है, वह अधिकार अस्ता

सम्पन्न ऐसे रायां में स्थान वथा निरीक्षण स्थान से प्राप्ति स्मृति है। ऐसे मामले में जन्मस्थान व वस्त्रा 14 के उपलब्ध होता है, ऐसा भी मामला हो, जाय जाए।

३०. ऐसाग्राह । और २ के उपलब्धों के बोतेहर भी, मीविदाकारी राज्य के निवासी की जाय की मदों पर, जिन पर इस अभिभाविती निवासी के उपलब्धों में विचार नहीं किया गया है, और जो इसमें सीविदाकारी राज्य में उद्भव होती है, इसमें सीविदाकारी राज्य में बुरा लगेगा।

अनुच्छेद २३

१०. दोनों सीविदाकारी राज्यों में प्रवृत्ति कानून आग-आगा सीविदाकारी राज्यों में आय के काराकान को नियंत्रित करते रहेंगे जिवाय उस मामलों के जरूर पर इसके विवरणीत स्पष्ट उपलब्ध हैं अभिभाविती में दिए गए हों।

२. भारत के मामले में दोहरे काराकान का नियन प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा :

११. जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिभाविती के उपलब्धों के अनुसार जापान में कर लगाया जा सकता है, उस विशेषता ने भारत इस आय को उस आय कर काराकान में शामिल किया जाएगा और भारत के उत्तम भाग की कटीती, जैसा भी मामला हो, काराकान के उद्भव है जाय के कारण को अनुसार लोगों जो जापान में उद्भव हैं जाय के कारण लगता हो।

३१. जापानी कर को भवदेवनजर रखते ही जापान से नियन किसी अन्य देश में देय कर पर क्रिडिट के सम में इट के बारे में जापान के कानूनों के अधिकारी द्वारा जापान के अनुसार जापान में कर लगाया जा सकता है, उस विशेषता के अनुसार भारत के उस आय पर कर कर से कटीती की अनुसार जापानी जापान में जापानी कर के लिए की गई हो, वाहे वह प्रत्यक्ष सम से दिया गया है, जो अन्य कटीती के द्वारा दिया गया हो। किंतु

दोनों मामलों में ऐसी कटीती की मात्रा अधिकारी कटीती दिय जाने से पूर्व यामानिती के उत्तरे भा से बहिर्भूती हो जाएगी, जो यामानिती उस आय के वायर उत्तर नहीं होगी, जो यामानिती उस आय के वायर उत्तर नहीं हो, जिस पर जापान से कर लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त वही ऐसा निवासी एक कम्पनी है, जिसके माध्यम से भारत में अन्तर्कर देय जाता हो, वहाँ जापान में बदा दिए गए आयकर के संघ में कटीती की अनुसार उस कम्पनी द्वारा भारत में देय आयकर से देय को और ऐसे रकम पर, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय अन्तर्कर नी-अनुसार देया ।

१२. जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिभाविती के उपलब्धों के अधिकारी जापान में कर लगाया जा सकता है, उस विशेषता में भारत इस आय को उस आय कर काराकान में शामिल किया जाएगा और भारत में से जापान के अनुसार जापान का कोई निवासी भारत से आय प्राप्त करता है, जिस पर इस अभिभाविती के अनुसार भारत से कर लगाया जा सकता है, उस विशेषता में उस आय के संघ में देय भारतीय कर की राशि उस निवासी पर लगाय गए

सरकारों के बीच कोई कारार सम्पन्न किया गया हो ।

जापनी कर की मात्रा के अनुसार क्रेडिट के रूप में अनुमति होगी तथा उस क्रेडिट की वह रकम जापनी कर के उस भाग से बहिष्ठ नहीं होगी, जो उस आय के लिए समृद्धि हो ।

जहाँ भारत से प्राप्त आय किसी कमनी हो जाए तो भारत की निवासी है, एक ऐसी कमनी को जो जापन की निवासी है, और उसके पास जापानी बदा करने वाली कमनी के बोलियों द्वारा के २५ प्रतिशत भाग का अंदरा उस कमनी द्वारा जारी किए गए इन लेपरों का स्थानित है, बदा किया गया एक ताज़ा हो । उस विधि में उस क्रेडिट को जापनी आय के संबंध में नाभाग आवाज़ने वाली कमनी द्वारा देय भारतीय कर के विवाद के तिथा आया ।

उमर उप-ऐराग्रामों के, और उड़ेर्ड में उत्तिनिष्ठित क्रेडिट के प्रभावों जापानी करदाता द्वारा उस रकम को अदा किया गया

माना जायगा, जिनकी अदायानी भारत के कानून के

अधिकारित वो वर इस अनियमय के अनुसार भारतीय कर के रूप में उस विधि में की गई होती, यदि वह द्वारा किए गए उस भारतीय कर को इस अनियमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू नहीं भारत में अनियमित क्रिकास के लिए निर्वित

क्रिय गए विविहार प्रोत्तराहन कार्य के अनुसार

बदाया नहीं गया हो अस्था उनमें राहत नहीं दी गई है,

अस्था निन्हें भारतीय कर का नहीं दी गई है, प्रियत उपायों ने भारतीय कर का नहीं दी गई है, विधा जा सकता हो जाते ही उक्त उपायों के अनुष्ठान करदाता को दिए गए नाभाग के नार्थिन के संबंध में दोनों

अनुच्छेद २४

१. एक सीविदाकारी राज्य के ग्राम्यों पर इसे सीविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अंदरा तरोंबदी ऐसी कोई अंका नाम नहीं की जाएगी जो उस काराधान से और उन स्वीकृति क्रेडिटों से प्रियत अस्था भारतीय हो, जो इसे सीविदाकारी राज्य के राज्यकान्तों पर सामान परिविधितों से जागू होती है अस्था तो स्फूर्ती है ।

उड़ेर्ड । वे उपर्योगों के हों इस भी यह उपर्योग ऐसे व्यविधितों पर भी जागू होगा जो दोनों सीविदाकारी राज्यों में से किसी एक सीविदाकारी राज्य के अस्था दोनों सीविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं है ।

२. एक सीविदाकारी राज्य के किसी उपर्योग के इसे सीविदाकारी राज्य में विधि किसी स्थायीस्थायपन पर लागू जाना कर उस द्वारे सीविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम वज्रज्ञ नहीं होगा, जो उस द्वारे सीविदाकारी राज्य में सामान कार्य-क्रान्तियों में तो हर उद्दमों पर लागू जाता है ।

इस उपर्योग में निवित किसी भी बात का वर्य वह नहीं लगाया जाएगा कि एक सीविदाकारी राज्य ऐसे व्यविधियों को, जो इसे सीविदाकारी राज्य के निवासी हैं, नागिक विधियत अस्था पारियारिक उत्तरदायित्वों के कारण कराधान के ग्रो-जनों के लिए किसी भी क्रार की व्यविधित छें, राज्यों और उत्तरदायित्वा प्रदान करने को लाध्य होगा, जो यह अने स्वयं के नियमित्वों को प्रदान

करता है ।

३. अन्वेषद् ७ के उपर्युक्त, अन्वेषद् ११ के पैराग्राफ ४ अस्था अन्वेषद् १२ के पैराग्राफ ७ के उपर्युक्त जहां नाम्य होते हैं उनको छोड़कर एक सीविदाकारी रा ज्या के किसी उधम धारा दूसरे सीविदाकारी रा ज्या के किसी निवासी को ऐसे उधम के कारबोय लाभों का निश्चिरण करने के प्रयोगात्मक अद्या विष गप चाव, रायचिट्टयों तथा अन्य भ्रातानों को उन स्मान परिवर्धनात्मके तहत कठोरी योग्य माना जाया, यदि उनकी अदायायी प्रभावेत्तिवित सीविदाकारी रा ज्या के किसी निवासी को को गई हो ।

४. एक सीविदाकारी रा ज्या के उधमों पर जिज्ञासिती पूर्णतः

अस्था अंतः इसे सीविदाकारी रा ज्या के एक अस्था एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अस्था अप्त्यक्षतः स्वामत अस्था नियमेण ये हैं, प्रभावेत्तिवित सीविदाकारी रा ज्या ये जोड़े ऐसा कराक्षान अस्था तत्त्वज्ञानी कोई ऐसी अस्था नाम्य नहीं की जाएगी जो उस कराक्षान और तत्त्वज्ञानी ऐसी जो निम्न अस्था अविक्ष भावपूर्ण हो, जो उस प्रभावेत्तिवित सीविदाकारी रा ज्या के उधमों पर जाय होती है अस्था हो सकती है ।

५. सत् अन्वेषद् में "काराशान" शब्द से तात्पर्य उन करों से है जो अस्था अभिसमय के विषय है ।

अन्वेषद् 25

६. वहाँ कोई व्यावित-यह स्माक्षण है कि एक अस्था दोनों सीविदाकारी रा ज्यों के कापों के परिपामस्त्रय उस पर कर लगा है

अस्था नाम्या आएगा, जो इस अभिसमय के उपर्युक्तों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन सीविदाकारी रा ज्यों के बीच नियमों द्वारा उपबोधित अस्थाकारी उपस्थों के होते हुए भी अन्या मामलों उस सीविदाकारी रा ज्या के सम्बन्धित क्रियाकारी विकास के अन्तर्गत है अस्था यदि उस्था मामला अन्वेषद् १ के अन्तर्गत आता है, तो वह अपना मामला उस सीविदाकारी रा ज्या से स्थान प्राप्तिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह रास्तिरूप है । यह प्राप्तिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह रास्तिरूप है । यह प्राप्तिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह रास्तिरूप है ।

२०. यदि इस प्राप्तिकारी को वापित्त उचित न हो और यदि वह स्वयं किसी शोषेवद्वय के हस पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराक्षान के निवारण की विजिट से, जो इस अभिसमय के उपर्युक्तों के अनुस नहीं है, इसे सीविदाकारी रा ज्या के स्थम प्राप्तिकारी की परस्पर सम्भाल डारा उस मामले को हल करने का प्राप्ति करेगा । प्राप्ति हूँ जिसी भी स्थमतों को किसी तरह की स्थम समिता पर द्यान न देते हुए सीविदाकारी रा ज्यों के बीच कानूनों के तहत, कार्यान्वयन किया जाएगा ।

३. सत् अभिसमय की व्याख्या करने अस्था ज्यों नाम्य करने से प्राप्ति कोई किन्तु नाम्यां अस्था शब्दाद्य उत्पन्न हो, तो सीविदाकारी रा ज्यों के स्थम प्राप्तिकारी उन्हें पारस्परिक सम्भाल में हस करने का प्रयत्न करें । तें उन मामलों में दोहरे काराक्षान के आकरण के तिरप परस्पर विचार-विस्तीर्ण कर सकते हैं, जिनकी व्यवस्था सत् अभिसमय में नहीं की गई है ।

४. सीविदाकारी रा.ज्यो के स्वम प्राणिकारी इस अनुच्छेद के प्रत्यंति भएगाहो ये अवश्य को लेकर सम्मति के प्रयोगार्थ एक दूसरे के साथ प्रत्यक्षतः पन-लवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद 26

सीविदाकारी रा.ज्यो के स्वम प्राणिकारी ऐसी स्वना का आदान-प्रदान कर्त्तो जो इस अधिकारी के उपबोध के सम्मति आने वाले कर्त्तों से स्वीकृत है, जहाँ तक उसके अन्तर्गत कराशान इस अधिकारी के प्रत्यक्षों के प्रतिक्रिय नहीं है, इस अधिकारी के अवश्य कराशान इस अधिकारी को कार्यान्वयन करने अथवा राजस्व कार्योंके अवश्यकता के उपबोधों को करने की जात्याजी को रोकने के लिय बावजूद है। इस तरह से आदान-प्रदान की गई किसी भी स्वना को गोपनीय स्वाम जाप्या और सो इस अधिकारी के उपबोध कराने अथवा उनकी वस्तु अथवा उनको लाग करने अथवा उनके बारे से विविधों जन संघर्षों का घायली करने से अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्भारण करने में जो हृष्ट अवधिवत्यों अथवा प्राणिकरणों,

जिन्हें न्यायालय भी शामिल हैं, को ही प्रबंध किया जायगा ।

२. किसी भी विधित में भएगाह के उपबोधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाया, जिससे किसी सीविदाकारी रा.ज्यो पर नियन्त्रित दावित दराता जाए :

१. एक बक्सा इससे सीविदाकारी रा.ज्यो की विधिव्याधि और प्रशासनिक प्रणा से छठकर प्रशासनिक उपाय करना ;

२. ऐसी स्वना देना जो एक अथवा दूसरे सीविदाकारी रा.ज्यो

की विधिव्याधि के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य विधित में प्रावधान नहीं है ; अथवा ऐसी स्वना देना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, वाचोनिक, वाचिपीड़क अथवा अन्य व्यवसाय संबंधी गुप्त-भेद विस्तरों प्रकट करना सत्कारी नीति के प्रतिक्रिय होती है,

गी

अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा स्वना प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सत्कारी नीति के प्रतिक्रिय होती है ।

अनुच्छेद 27

जनतराधीय विधि के सामान्य विधियों के अन्तर्गत अथवा विक्रेता कराने के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अधिकारी के अवश्य कराशान कोई विधिव्याधि के वित्तीय विवेषाकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद 28

१. इस अधिकारी को यामंसव शीघ्र ठोकियों पर अनुसमीकृत किया जाएगा और अनुसमीकृत के दस्ता वेज्जों का आदान-प्रदान किया जायगा ।

२. यह अधिकारी अनुसमीकृत के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख के पायाच ३०वें दिन को ताप्य होगा और इसका निम्नानुसार प्रभाव होगा :

का जापान में :

निःपत्ति के लिए वर्ष में यह अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके

परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथा उसके बाद शुरू होने वाले जिसी भी कराहेय कर्ष के लिए प्राप्त आय के संधें में ; और

भारत में :

निःपत्ति के लिए वर्ष में यह अभिसमय प्रवर्तित होता है

उसके परवर्ती वर्ष के अगले मास के प्रथम दिन को अथा उसके अचारात प्राप्त दिन को अथा उसके अचारात प्राप्त होने वाले जिसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के लिए प्राप्त आय के संधें में ।

3. आय पर करों के संधें में दोहोरा कराधान के निवारण के लिए निकालक 5 जनवरी, 1960 को नई नियमनी ने जापान और भारत के बीच हस्ताक्षरित हड्डा करार उस आय के संधें में समाचार होने के परामर्श-साथ निःपत्ति भी हो जाएगा, जिसके बारे में यह अभिसमय प्राप्ति 2 के उपर्योग के अधीक्षित जापा होता है ।

निःधेन्द्र 29

यह अभिसमय अनिवार्यत कानून तक नाय रोका जाएगा जैसकि दोनों सिविलकारी राज्यों ने सो कोई भी सिविलकारी राज्य सक्षम आय होने की तारीख से पात्र कर्ता की अवधि जी समाप्ति के पश्चात आय होने वाले जिसी भी केलेजर वर्ष के जन मास के 30 तक इन को अथवा उसके पहले राजनीतिक मासमाने से दूसरे भविद्वाकारी राज्य को इसी समाप्ति का

निःधेन्द्र सम में नोटिस दे सकेगा और ऐसी विधि में यह अभिसमय निःन्तिविहित के लिए निःपत्ति भी हो जाएगा :

का जापान में :

निःपत्ति के लिए वर्ष में अभिसमय की स्थानिकता वारे ने नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अथा उसके अचारात शुरू होने वाले जिसी भी कराहेय वर्ष के लिए प्राप्त आय के संधें में ; और

भारत में :

निःपत्ति के लिए वर्ष में अभिसमय की स्थानिकता वारे ने नोटिस

दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अगले मास के प्रथम दिन को अथा उसके अचारात दूसरे दिन होने वाले जिसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के लिए प्राप्त आय के संधें में ।

निःधेन्द्र सम में सक्षम लिपि अन्ति-अन्ति समकारों द्वारा निश्चिकत प्राप्ति अन्ति अन्ति वर्षों द्वारा करारकरताओं ने सक्षम अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सन् एक हजार नौ सौ नवामी के

मार्च माह के मासांते दिन को नई हितों

भी जापानी, हिन्दू और जीनी भाषाओं में दो-दो प्रतियाँ भी निभान्न किया गया, जिसके तीनों पाठ समाप्त : प्रसागिक ५ । अभिसमय भी निकालकार की निःन्तता के मामले भी

→ → → の租税 (所得) 条約

कीली पाठ की प्रभावी होगा ।

आपान की सरकार
की बोर से

भारत गणराज्य की
सरकार की बोर से

Eijiro Noda

G. N. Gupta

(参考)

この条約は、我が国とインドとの間で所得に対する租税の関する二重課税の回避及び脱税の防止のために締結されたものである。